पत्रावली पेश है। वकील पत्रकार उप०सी
प्रा०प 07RAJCPC पर बहस पूर्व में सुनी
जा चुकी है। दौराने बहस अप्रार्थी द्वारा
कथन किया कि प्रार्थी द्वारा रास्ता बन्द
करना बताते हुए धा०प 251 खुलासा करने
बाबत न्यायालय में प्रस्तुत किया है। धारा
251 PR Act में प्रचलित रास्ता अवरुद्ध
करने पर खुलासा करवाने का अधिकार
तहसीलदार व ग्राम पंचायत व सिविल
न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थी

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं है।
जवाब मे प्रार्थी द्वारा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्र.प. 251A राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया था ना कि रास्ता खुलासा करने मे।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन व जवाब प्र.प तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.प. 07R11CPC खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्र.प. 07R11CPC खारिज किया जाता है। मिसल वास्ते शेष अप्रार्थीगण की तलबी मे दिनांक 21/11/25 को पेश हो।